कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
उज्जैन संभाग उज्जैन

क्रमांक / शिक्षा.स्था.3 / 1886 / मा.शि. / 2021 / उज्जैन दिनांक 29-12-2021

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर **विज्ञान** विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

Sr	NAME	ADDRESS	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED CATAGORY	POSTING PLACE	DISTRICT-BLOCK
1	MUKESH KUMAR PATIDAR	128 BUDHA GANPATI CHOUK MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85028534	6	OBC	UR/X/OP	MS SAILANANO. 1-23200604517	RATLAM-SAILANA
2	HIRALAL GOVERY	92 AKYABIKA WARD NO 04 MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85018855	32	SC	UR/X/OP	HSS GIRLS SAILANA-23200624504	RATLAM-SAILANA
3	SHYAM KUMAR RAGHUWANSHI	GRAM PANWADI HAT POST PANJWADI HAT ARON ARON GUN MADHYA PRADESH 473101	84832117	54	UR	UR/VH/OP	MS SAILANANO. 2-23200604513	RATLAM-SAILANA
4	VISHNU PRASAD GURJAR	60 BARAI MUKHYA BAZAR SUSNER AGM MADHYA PRADESH 465449	84928343	65	OBC	OBC/X/OP	MS KOTADA-23200604602	RATLAM-SAILANA
5	SHWETA CHOUHAN	277 WAR 1 NEAR RAM MANDIR MAHUPURA SHAJAPUR SJP MADHYA PRADESH 465001	85131544	114	OBC	OBC/X/F	HS NAYAN-23200215707	RATLAM-BAJNA
6	SONALI PATIDAR	01 NARAYANGARH DIWANIYA MOHALLA MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458553	85028745	157	OBC	OBC/X/F	MS CHHAYAN-23200214302	RATLAM-BAJNA

7	RAKHI JAIN	FRONT OF SAHYOG HOSPITAL DUBEY COLONY GUNA GUNA GUN MADHYA PRADESH 473001	84832374	167	EWS	EWS/X/F	H S Gadavadiya-23200221804	RATLAM-BAJNA
8	CHETAN KUMAR PANCHAL	434 WARD NO 11 PREMNAGAR COLONY SHUJALPUR MANDI SJP MADHYA PRADESH 465333	84807486	225	OBC	OBC/X/OP	MS AMARGARH-23200600603	RATLAM-SAILANA
9	SEEMA SHARMA	BUS STAND JEERAN NEEMUCH NEEMUCH NEM MADHYA PRADESH 458336	85029114	231	EWS	GF/UR/X/F	HSS BOYS SHIVGARH-23200618318	RATLAM-SAILANA
10	KANHAIYA LAL SANSARI	GRAM KANSER POST TALIDANA750 TEHSIL PIPLODA GRAM KANSER RAT MADHYA PRADESH 457340	85019118	242	ST	ST/X/OP	HS GURBHELI-23200611107	RATLAM-SAILANA
11	SUNDAR KUSHWAH	VILLAGE AMRA POST MANGROL THANA DROLLIPAR TEHSIL SEONDHA DAT MADHYA PRADESH 475682	84869691	341	OBC	OBC/LH/OP	HSS BERDA-23200612209	RATLAM-SAILANA
12	PAPPU SINGH LODHI	39 VILLAGE PAHADGARH PAHADGARH BIOARA RJH MADHYA PRADESH 465677	84794181	409	OBC	GF/OBC/X/OP	MS SAKRAWADA-23200605604	RATLAM-SAILANA
13	RAMASHANKAR GAUTAM	17 LAKE PALACE SANGAM NAGAR INDORE IND MADHYA PRADESH 452006	84929039	1425	SC	SC/X/OP	HS UMAR-23200218006	RATLAM-BAJNA
14	CHHAYA KAROTHIYA	WARD NO 20 NEAR THE SANGAMA SCHOOL MAHAVEER PURA DABRA GWL MADHYA PRADESH 475110	84864576	1458	SC	SC/X/F	MS LAKHIYA-23200219203	RATLAM-BAJNA
15	CHAMPA LAL MAHOBIYA	0 GRAM PANCHAMPUR CHAKK POST PARKANA TEHSIL MUNGAOLI ASN MADHYA PRADESH 473443	84802851	1618	SC	SC/X/OP	H S Tamboliya-23200221704	RATLAM-BAJNA
16	MUKESH KUMAR	0000 GRAM RAUN POST RAUN BHIND BHD MADHYA PRADESH 477335	84929445	1622	SC	SC/X/OP	HS CHANDRAGAD-23200200607	RATLAM-BAJNA
17	KAPIL PARMAR	666 WARD NO. 18, RIYAWAN RIYAWAN PIPLODA RAT MADHYA PRADESH 457333	85038520	1759	SC	SC/X/OP	MS THIKRIYA-23200616802	RATLAM-SAILANA

18	KAILASH CHANDRA CHAREL	MAKAN NO 51 PANCHEVA ROAD VILLAGE-SUJAPUR PIPLODA RAT MADHYA PRADESH 457333	85030330	1816	ST	ST/X/OP	HSS BOYS RAOTI-23200218618	RATLAM-BAJNA
19	RAJENDRA KUMAR THAWLIYA	JHALARA JHALARA JHALARA TARANA UJJ MADHYA PRADESH 456550	85127961	1843	SC	GF/SC/X/OP	MS BARDA-23200613102	RATLAM-SAILANA
20	RENU SHAKYA	B-39 NEW SAKET NAGAR TANSEN ROAD HAZIRA GWALIOR GWL MADHYA PRADESH 474002	84870059	2367	SC	SC/X/F	MS BOYS BERDA-23200612204	RATLAM-SAILANA
21	ASHARAM KHATIK	HN 105 RATANGARH POST RATANGARH SINGOLI NEM MADHYA PRADESH 458226	85028327	2376	SC	GF/SC/X/OP	MS TALAB BORDI-23200619702	RATLAM-SAILANA
22	PREMCHAND CHOUHAN	293 CHIKLANA CHIKLANA PIPLODA RAT MADHYA PRADESH 457339	85019301	3429	SC	GF/SC/X/OP	MS CHAWDAKHEDI-23200607001	RATLAM-SAILANA
23	NEHA TYAGI	H/N 11 VILLAGE GAIPRA POST JOURA TEHSIL JOURA MOR MADHYA PRADESH 476221	84867731	5204	UR	UR/EH/F	MS BHURIGHATI-23200211202	RATLAM-BAJNA
24	MONIKA NARGAVE	170 MIG NEW HOUSING BOARD COLONY BARWANI BARWANI BDW MADHYA PRADESH 451551	84927438	5964	ST	ST/X/F	MS CHAWDAKHEDI-23200607001	RATLAM-SAILANA

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800–103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800/–. अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12. 12.2019 के बिंदु क. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वूतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

5. संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.205 के नुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे । अभिलेखों का सम्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएगें जिसकी सूची निम्नानुसार है :–

I. नियुक्ति आदेश
6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाई नंबर, ई–मेल एड्रेस
II. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं EWS)
III. मूल निवासी प्रमाण पत्र
IV. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है । अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
V. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
VI. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
VII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
VIII. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
IX. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ सी–3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट–एक)

7. संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भतीर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसक किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा ।

9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हते‚ निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा ।

10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढा दी जायेगी ।

11. संबंधित का आगामी 3 वर्षो तक सामान्य स्थानातंरण नहीं किया जाएगा ।

12. अनुसूचित क्षेत्रो में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।

13. आवासीय विद्यालयों में जहॉ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

14. संबंधित अभ्यर्थी के पदस्थ संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की दशा में जिले में अन्य संस्थाओं में रिक्त विषय के पद पर पदस्थ किया जावेगा ।

15. सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला रतलाम जिले में विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे । बिन्दु 14 के अनुसार संशोधित पदस्थापना की जावेगी ।

विशेष टीपः– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।

(रंजना सिंह)
संभागीय उपायुक्त
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग
उज्जैन संभाग उज्जैन

पृ.कमांक / शिक्षा.स्था.3 / 1887 / मा.शि. / 2021 / उज्जैन दिनांक 29-12-2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य म.प्र. भोपाल ।
6. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन ।
7. कलेक्टर उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
8. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य रतलाम एवं जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जिला उज्जैन / देवास / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें । दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता / पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें ।
9. जिला कोषालय अधिकारी उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. / हाई सकूल जिला उज्जैन / देवास / रतलाम / शाजापुर / आगर मालवा / मंदसौर / नीमच म.प्र. ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त / जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति देवें ।

संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
उज्जैन संभाग उज्जैन